भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2754

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

तेलंगाना को आवंटित लौह अयस्क संसाधन

†2754 श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलंगाना में महबूबाबाद, वारंगल, करीमनगर, जगित्याल, मंचेरियल और भद्राद्री-कोठागुडेम जिलों में तेलंगाना खनिज विकास निगम लिमिटेड को आवंटित कुल लौह अयस्क संसाधनों का ब्यौरा क्या है और भूमि की कुल सीमा का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत लौह अयस्क क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने तेलंगाना खनिज विकास निगम लिमिटेड के लिए लौह अयस्क क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा पुन: प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) बय्याराम में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता के संबंध में खान मंत्रालय और तेलंगाना राज्य सरकार के बीच पुनर्निधारित बैठक की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): तेलंगाना के महबूबाबाद, वारंगल, करीमनगर, जगित्याल, मंचेरियल और भद्राद्री-कोठागुडेम जिलों में तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (टीएसएमडीसीएल) को कोई लौह अयस्क संसाधन आवंटित नहीं किये गये हैं।

तेलंगाना सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17क(2) के तहत टीएसएमडीसीएल के पक्ष में 65.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राज्य में लौह अयस्क निक्षेपों

के आरक्षण के लिए दिनांक 30.05.2019 को एक प्रस्ताव भेजा था। उक्त प्रस्ताव की इस्पात मंत्रालय और भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श से जांच की गई थी। इस्पात मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ तेलंगाना में सेल द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अव्यवहार्यता के बारे में सूचित किया था।

तदनुसार, क्षेत्र के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को दिनांक 21.06.2021 को वापस कर दिया गया।

*****